CBI ने SC को बताया, उसके 13,200 केस कोर्ट में पेंडिंग

■ विस, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि उसके केस अदालतों में लंबे समय से लंबित हैं। इनमें 13,200 केस हैं जो देशभर की अलग-अलग अदालतों में अटके हैं और 706 केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में जांच एजेंसी के केस पेंडिंग है। अलग-अलग हाई कोर्ट में सीबीआई द्वारा दाखिल 931 अपील लंबित हैं। सेशन कोर्ट में सीबीआई की अपील 45 हैं वहीं, आरोपियों की कुल 282 अपील पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर को कहा था कि यह अच्छी स्थिति नहीं है कि सीबीआई ने आठ राज्यों को मामले की जांच के लिए सहमति देने के लिए जो आग्रह कर रखा है उसमें 78 फीसदी मामले अभी भी पेंडिंग है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र समेत आठ राज्यों के पास सीबीआई का आग्रह पेंडिंग है।

महंगाई पर कांग्रेस का अभियान 14 से

■ विस, नई दिल्ली : महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ देशभर में एक पखवाड़े का जन जागरण अभियान शुरू करने का फैसला किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बताया कि नेहरू जयंती के दिन 14 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में कांग्रेस सीधे संपर्क और सोशल मीडिया दोनों ही तरीकों से लोगों से जुड़ेगी। कांग्रेस केंद्र सरकार की गरीब विरोधी नीतियों और महंगाई के खिलाफ जमीन पर उतर कर लोगों को जागरूक करेगी।

ा केस में SC में सिब्बल ने
ा ज्वालामुखी के लावे जैसी

लावा की तरह है जो धरती पर जब आता है तो उसे भारी नुकसान पहुंचाता है और बुरा असर डालता है।'

सिब्बल दलील के दौरान भावुक भी हुए और कहा कि बंटवारे के दौरान उन्होंने अपने नाना-नानी को खोया है। उन्होंने कहा, 'मैं खुद पीड़ित हूं। मैं किसी एक या दूसरे को दोषी नहीं ठहरा रहा लेकिन दुनियाभर में एक संदेश दिया जाना चाहिए कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।' कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा कि एसआईटी ने एक भी आरोपी को नहीं पकड़ा था। तहलका मैग्जीन ने स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसमें कई लोगों ने खुलकर कहा था कि उन्होंने सांप्रदायिक दंगे में भाग लिया था। उसी टेप के आधार पर नरोदा पाटिया केस में सजा भी हुई थी। लेकिन जाकिया की शिकायत को एसआईटी ने नजरअंदाज किया। स्टिंग में जिनके नाम आए उनके फोन आदि सीज नहीं हुए। ऐसे मामले में होने वाली साजिश का कोई सीधा साक्ष्य नहीं होता है बल्कि परिस्थितियां बताती हैं और उन परिस्थितियों के आधार पर सबूतों को इकट्ठा करना होता है। बयान रेकॉर्ड करना होता है और स्पॉट पर जाकर छानबीन करनी होती है। लेकिन एसआईटी ने यह सब नहीं किया। छानबीन होनी चाहिए। अगर छानबीन नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एसआईटी गठित करने का क्या मतलब रह जाएगा।

फॉर्म जी अभिरूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

[दिवाला और शोधन अक्षमता (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए(1) के अधीन]

मेसर्स तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के भावी समाधान आवेदकर्ताओं के ध्यानार्थ हेतु

संबंधित विवरण	
1. कॉरपोरेट देनदार का नाम	मेसर्स तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2. कॉरपोरेट देनदार के निगमन की तिथि	05-01-2007
3. उस अथॉरिटी का नाम, जिसके अधीन कॉरपोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	कंपनी अधिनियम 1956 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हरियाणा।
4. कॉरपोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या	U45200DL2007PTC157455
5. कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई है) का पता	(होटल रेडिसन ब्लू) प्लॉट नंबर डी, जिला केंद्र, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110087
6. कॉरपोरेट देनदार के सम्बंध में दिवाला प्रारंभ होने की तिथि	03-07-2017
7. अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण की तिथि	11-11-2021
8. कोड की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों के लिए पात्रता निम्नलिखित पर उपलब्ध है:	समाधान योजना के साथ समाधान पेशेवर (आरपी) से संपर्क करने के लिए समाधान आवेदकों (अकेले, संयुक्त रूप से या संघ में) के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड अर्थात 1. कॉरपोरेट्स और व्यक्तियों के लिए: डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द्वारा समर्थित न्यूनतम नेटवर्थ मूल्य ₹ 10 करोड़। – डॉक्यूमेंट्री एविडेंस द्वारा समर्थित ₹ 50 करोड़ के निवेश सहित 2. न्यूनतम लिमिटेड फंड एआरसी / एनबीएफसी सहित वित्तीय संस्थाओं के लिए 1000 करोड़ का एयूएम पूरी जानकारी वेबसाइट www.arck.in पर उपलब्ध है या आयद ई–मेल द्वारा insolvency@arck.in पर मांगा जा सकता है
9. धारा 29ए के अधीन लागू अयोग्यता के मानक निम्नलिखित पर उपलब्ध है:	वेबसाइटों पर उपलब्ध: – www.arck.in – आईबीबीआई: www.ibbi.gov.in या insolvency@arck.in पर ई–मेल द्वारा मांगा जा सकता है
10. अभिरूचि के अभिव्यक्ति के प्राप्ति की अंतिम तिथि	26-11-2021
11. संभावी समाधान आवेदकों के अनंतिम सूची निर्गमन की तिथि	29-11-2021
12. अनंतिम सूची के आपत्तियों को जमा करने की अंतिम तिथि	04-12-2021
13. संभावी समाधान आवेदकों की अंतिम सूची निर्गमन की तिथि	07-12-2021
14. संभावी समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स तथा समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध के निर्गमन की तिथि	29-11-2021
15. समाधान योजना, इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, सूचना ज्ञापन तथा अधिक जानकारी के लिए अनुरोध प्राप्त करने का तरीका	अस्थायी सूची में सभी संभावित समाधान आवेदकों ('पीआरए') और उन पीआरए जिन्होंने अनंतिम सूची में उनको शामिल होने के खिलाफ सुझाव लिया है, उन्हें समाधान योजना (आरएफआरपी), मूल्यांकन मैट्रिक्स और सूचना ज्ञापन इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुरोध प्रदान किया जाएगा। insolvency@arck.in पर ई–मेल भेजकर और जानकारी प्राप्त की जा सकती है
16. समाधान को जमा करने की अंतिम तिथि	29-12-2021
17. समाधान प्रोफेशनल के पास समाधान योजनाओं को जमा करने का तरीका	ई–मेल द्वारा insolvency@arck.in पर या रजि. डाक / स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से समाधान पेशेवर के पत्राचार पते पर सीलबंद लिफाफों में
18. अनुमोदन के लिए न्याय निर्णयन प्राधिकारी के पास समाधान योजना को जमा करने की अनुमानित तिथि	31-01-2022
19. समाधान प्रोफेशनल का नाम तथा पंजीकरण संख्या	नाम: अनिल कोहली पंजीकरण नं.: IBBI/IPA-001/IP-P00112/2017-18/10219
20. समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता तथा ई–मेल, जैसा कि बोर्ड के साथ पंजीकृत है	नाम: अनिल कोहली पता : 409 अंसल भवन, 16 केजी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–01 ईमेल: insolvency@arck.in
21. समाधान प्रोफेशनल के साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त होने वाला पता तथा ई–मेल	ऊपर के समान (बिंदु संख्या 20)
22. अधिक विवरण निम्नलिखित पर या के पास उपलब्ध है:	वेबसाईट: – www.arck.in या insolvency@arck.in पर रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल्स से ई–मेल द्वारा मांगा जा सकता है
23. फॉर्म–जी के प्रकाशन की तिथि	11-11-2021

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 11.11.2021

हस्ता/– अनिल कोहली
पंजीकृत नं. IBBI/IPA-001/IP-P00112/2017-18/10219
पता : 409 अंसल भवन, 16 केजी मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कृते मेसर्स तिरुपति इंफ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड